निर्णय ब–इजलास जगरूपसिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 52/2010 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह बारेठ, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स रायल स्वीटस, दुकान नम्बर 36–37, सिद्धार्थ शॉपिग सेन्टर, सेक्टर 14, मालवीय नगर, जयपुर।
2. श्री राकेश पुत्र श्री रामबाबू बडाया, निवासी वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर कार्यकर्ता फर्म।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एल.पी.जी. 28.00 किलोग्राम व एक रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

जिला कलक्टर जयपुर

निर्णय दिनांक 10.10.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.06.2010 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों का वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स रॉयल स्वीटस, दुकान नम्बर 36–37, सिद्धार्थ शॉपिंग सेन्टर, सेक्टर 14, मालवीय नगर, जयपुर की जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री राकेश पुत्र श्री रामबाबू बडाया उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं फर्म कार्यकर्ता बताया। फर्म द्वारा मिठाई, नमकीन आदि बनाई जाकर बिक्री की जाती है। वक्त जांच दुकान में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. एसआर नम्बर 642514एस रेग्यूलेटर मय रबड पाईप लोहे की भट्टी से जुडा पाया गया, जिस पर कडाही में चासनी तैयार की जा रही थी तथा इसके पास ही 3 एच.पी.सी. के घरेलू गैस सिलेण्डर उपयोग हेतु और रखे पाये गये। इस प्रकार दुकान में 4 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स ओम गैस एजेन्सी आई.ओ.सी. जयपुर के प्रतिनिधि श्री मदन सिंह पुत्र श्री मानसिंह, निवासी 13/722, मालवीय नगर, जयपुर को साल्टर मशीन के साथ बुलाकर उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डरो का तौल कराया गया जिस पर सिलेण्डरों में 28.00 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई तथा एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। फर्म मालिक द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 04 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एल.पी.जी. 28.00

किलोग्राम व 1 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स ओम गैस एजेन्सी आई.ओ.सी. जयपुर के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दिये गये। इस जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एल.पी.जी. 28.00 किलोग्राम व 1 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 28.05.2010 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री सूर्यनारायण गुप्ता ने वकालतनामा तथा जवाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी को अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौरान दुकान में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. एसआर नम्बर 642514एस रेग्यूलेटर मय रबड पाईप लोहे की भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर कडाही में चासनी तैयार की जा रही थी तथा इसके पास ही 3 एच.पी.सी. के घरेलू गैस सिलेण्डर उपयोग हेतु और रखे पाये गये। इस प्रकार दुकान में 4 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 04 घरेलू सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एल.पी.जी. 28.00 किलोग्राम व 1 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

4. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 26.06.2010 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. अप्रार्थी ने अपने जबाब में रायल स्वीट्स के नाम से गैस कनेक्शन उपभोक्ता क्रमांक 310636 दिनांक 19.11.2004 की फोटो प्रति पेश की है, जिसमे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी ने व्यवसायिक स्थल पर घरेलू गैस कनेक्शन प्राप्त कर घरेलू गैस का दुरूपयोग किया है। एक सिलेण्डर गिरधारी लाल उपभोक्ता क्रमोक 312302 का होना बताया है, किन्तु गिरधारी लाल इस सम्बन्ध में कभी उपस्थित नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र या शपथ पत्र पेश कर अपनी दावेदारी ही जताई है। घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है, जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण दुकान में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. एसआर नम्बर 642514 एस रेग्यूलेटर मय रबड पाईप

जिला कलक्टर
जयपुर

लोहे की भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर कडाही में चासनी तैयार की जा रही थी जिससे घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। परिसर में 3 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. सी. के उपयोग हेतु और रखे पाये गये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. सी. मय एल.पी.जी. 28.00 किलोग्राम व 1 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. सी. मय एल.पी.जी. 28.00 किलोग्राम व 1 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 28.05.2010 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय आज दिनांक 10-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर